अपील सूचना अधिकार संख्या 92/2019 (RCMS 2019/00251) एडवोकेट धमेनद्र खीचड़ गांव कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335064 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन शाखा, श्रीगंगानगर

17.02.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री धमेन्द्र खीचड स्वयं उपस्थित नही हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन शाखा, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री धमेन्द्र खीचड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2019 के द्वारा जिला निर्वाचन शाखा, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> वर्ष 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पूर्व में श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला पुलिस अधिक्षक श्रीगंगानगर द्वारा आदेश जारी किये गये थे कि जिन व्यक्तियो पर किसी भी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज है या किसी न्यायालय में कोई मुकदमा या न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है ऐसा व्यक्ति विधानसभा चुनाव 2018 के मतदान या मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही किया जावेगा। की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 12839 दिनांक 11.10.2019 से अपीलार्थी को मूल प्रार्थना पत्र जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को भिजवाते हुए प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2269—70 दिनांक 15.10.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> आप द्वारा चाही गई सूचना जिला विशेष शाखा से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 24(4) एवं राजस्थान सरकार गृह(ग्रुप—5) के अधिसूचना क्रमांक एफ 9 (23) गृह—5/2005 जयपुर दिनांक 15.10.2005 के तहत उपलब्ध नही करवाई जा सकती।
>
> प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर है। जिनके कार्यालय टेलिफोन न0 0154—2443000
>
> अति. पुलिस अधीक्षक
> लोक सूचना अधिकारी
> कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक
> श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अति. पुलिस अधीक्षक की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक अधिकृत है। **इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि अति. पुलिस अधीक्षक, एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दी गई सूचनाओं से असतुंष्ट है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर